संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक/पो.आ/2015/3815 भोपाल, दिनांक 11/08/2015

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी,
   एकीकृत बाल विकास सेवा,
   जिला–समस्त (म.प्र.)

2. समस्त परियोजना अधिकारी,
   एकीकृत बाल विकास परियोजना,
   जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों,गर्भवती,धात्री माताओं को टेकहोम राशन वितरण के संबंध में ।

संदर्भः–अवर सचिव,म.प्र.शासन म.बा.वि.का आदेश क्र.एफ 3–13/09/50–2,दिनांक 23.5.2009 ।

....

06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों,गर्भवती/धात्री माताओ को एम.पी.एग्रो के माध्यम से टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय मासिक रूप से वर्तमान में एमपीआर में दर्ज लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या के आधार पर परियोजना स्तर पर किया जाता है । परियोजना स्तर से आंगनवाडी केन्द्रों पर टेकहोम राशन का वितरण परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है । आंगनवाडी केन्द्रों में निरीक्षण के दौरान देखने में आया है कि आंगनवाडी केन्द्रों में टेकहोम राशन का वितरण हितग्राहियों को नियमित रूप से नही किया जा रहा है ।

राज्य शासन के निर्देशानुसार आंगनवाडी केन्द्रों पर टेकहोम राशन का वितरण हितग्राहियों को प्रत्येक मंगलवार के दिन (मंगल दिवस) नियमित रूप से किया जाना है,लेकिन जिन माहों में पॉच मंगलवार आते है उन दिवसों में हितग्राहियों को कुछ केन्द्रों में टेकहोम राशन का वितरण नही किया जा रहा है जो उचित नही है । प्रत्येक मंगल दिवस पर टेकहोम राशन का वितरण अनिवार्यतः किया जाना चाहिए । आंगनवाडी केन्द्रों पर टेकहोम राशन का वितरण नियमित रूप से हो,इस हेतु निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. टेकहोम राशन का वितरण आंगनवाडी केन्द्रों से आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को प्रत्येक मंगलवार को अनिवार्यतः किया जावें । जिन माहों में 05 मंगलवार आते है उन माहों में टेकहोम राशन 05 मंगलवार के मान से ही परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्रों में वितरण हेतु प्रदाय किए जावें । टेकहोम राशन की आवश्यकता की मांग भी उसी आधार पर एम.पी.आर में की जावें । किसी भी स्थिति में हितग्राही पोषण आहार से वंचित नही रहना चाहिए ।
2. परियोजना अधिकारी एमपीआर में वास्तविक हितग्राहियों की संख्या एवं परियोजना को माह में प्राप्त एवं वितरित विभिन्न खाद्य सामग्री के पैकेटों की संख्या की प्रविष्टी पूर्ण सर्तकता से एवं सही अंकित की जावें। इसकी नियमित समीक्षा परियोजना स्तर पर आंगनवाडी केन्द्रवार की जावें।
3. आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा टेकहोम राशन का वितरण यथासम्भव पोषण सहयोगिनी,पोषण मित्र,बच्चों के पालक,आशा कार्यकर्ता एवं पंच/सरपंच की उपस्थिति में किया जावें तथा वितरण पंजी में इनके हस्ताक्षर भी लिए जावें,तथा निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा भी तैयार किया जावें ।

4. परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिमाह परियोजना में टेकहोम राशन प्राप्त होने पर स्वयं अलग–अलग खाद्य सामग्री के बैगों का निरीक्षण करें एवं बेग में रेन्डम बेस पर पैकेट की मात्रा/वजन एवं निर्माण तिथि की पुष्टि करें ।
5. परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना कार्यालय में टेकहोम राशन प्राप्त होते ही सामग्री की प्रविष्टी स्टाक पंजी में अनिवार्य रूप से की जावें तथा चालान में भी स्टॉक पंजी क्र./दिनांक दर्ज किया जावें।
6. परियोजना अधिकारी द्वारा खाद्य सामग्री का आंगनवाडी केन्द्रों में वितरण सामग्री प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें, अनावश्यक रूप से परियोजना स्तर पर भण्डारण नही किया जावें ।
7. आंगनवाडी केन्द्रों पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण किया जावें तथा यह सुनिश्चित किया जावें कि आंगनवाडी केन्द्र में एक माह से अधिक समय की खाद्य सामग्री भण्डारित न रहे । एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री का वितरण कदापि नही किया जावें ।
8. प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र पर स्टॉक पंजी का संधारण व्यवस्थित रूप से किया जावें । पर्यवेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान नियमित रूप से स्टॉक प्राप्ति/वितरण का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जावें ।

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र
भोपाल,दिनांक 11.08.2015

पृष्ठां.क्रमांक/पोआ/ 15/3816
प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र.